न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

पीठासीन अधिकारी : रामस्वरूप चौहान, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 15/2020 FSSA

1. सरकार जरिये श्री जयसिंह यादव तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा।

— आवेदक—

बनाम

1. श्री बनवारी पुत्र श्री सेडूराम बलाई
मैसर्सः—न्यू पारासर जी ट्रेडर्स, पेट्रोल पम्प के सामने, सैंथल रोड औद्योगिक क्षेत्र बापी जिला दौसा।

— अभियुक्त—

जुर्म अन्तर्गत एफएसएस एक्ट 2006 व सपठित नियम 2011

उपस्थिति : खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित।
: श्री गिरिराज प्रसाद गुप्ता अधिवक्ता अप्रार्थी अभियुक्त उपस्थित।

—: आदेश :— दिनांकः— 25.04.2025

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी जयसिंह यादव द्वारा दिनांक 28.01.2020 को दोपहर बाद 01:30 बजे मैसर्स :— न्यू पारासर जी ट्रेडर्स, पेट्रोल पम्प के सामने, सैंथल रोड औद्योगिक क्षेत्र बापी जिला दौसा का निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय दुकान पर विक्रेता श्री बनवारी पुत्र श्री सेडूराम बलाई निवासी ग्राम नेतावाला, राम्यावाला तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर को अपना परिचय देकर व परिचय पत्र दिखाकर उससे खाद्य पदार्थ लाईसेन्स दिखाने के लिये कहा तो उसने खाद्य पदार्थ का रजिस्ट्रेशन न होना जाहिर किया। निरीक्षण के समय विक्रेता की दुकान में खुले मुंह के प्लास्टिक के कट्टे में करीब 40 किलोग्राम मिर्च पाउडर (लूज) आम जनता को बेचने हेतु रखा हुआ था। इसमे मिलावट का शक होने पर इसमे से दो किलोग्राम मिर्च पाउडर(लूज) नमूने की जांच हेतु साफ, सूखी, खाली प्लास्टिक की थैली में खरीदा। जिनकी कीमत 360 रूपये नकद देकर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने विक्रेता से बिल प्राप्त किया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने नमूने के लिये खरीदशुदा मिर्च पाउडर (लूज) को चार साफ, सूखे, खाली प्लास्टिक के डिब्बों में बराबर—बराबर डालकर एयरटाइट ढक्कन बन्द कर चार लेबल तैयार कर लेबलों पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान व विक्रेता एफ.बी.ओ. के हस्ताक्षर करवाकर लेबलों को खरीदशुदा मिर्च पाउडर लूज के डिब्बों पर चिपकाकर डिब्बों को अलग—अलग एक खाकी कागज मे लपेट कर किनारों को सफाई से मोडकर गोंद से चिपकाकर डिब्बों पर डी.ओ. व सीएमएचओं दौसा द्वारा जारी की गई हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लीप कोड एवं सीरियल नम्बर **AG-2347** गोंद से उपर से नीचे चिपकाकर डिब्बों को एक मोटे मजबूत सख्त धागे से बांधकर डिब्बों को चार—चार जगह से सील चपडी व सील मोहर कर नमूनों पर एफबीओ विक्रेता के हस्ताक्षर नियमानुसार करवाकर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर एवं स्वयं ने हस्ताक्षर कर चारों सील बन्द डिब्बों को अपने कब्जे में लिया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म नं. 5 ए की दो प्रतियां तैयार कर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर उसकी एक प्रति एफ.बी.ओ. विक्रेता को देकर उसकी रसीद फार्म नं. 5 ए पर प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर की गई कार्यवाही की फर्द मौका रिपोर्ट तैयार कर उसे (विक्रेता) एफ.बी.ओ. व गवाहान को पढकर सुनाकर व समझाकर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर एफ.बी.ओ. व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rameshwaroop Chauhan
Date: 2025.06.30 10:27:49 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं. 6 की छः प्रतियां तैयार कर प्रत्येक पर नमूना छाप (सील इम्प्रेशन) लगाकर फार्म नं. 6 की एक प्रति व नमूने का एक सील बन्द डिब्बा एक आउटर कवर में चपडी से सील मोहर कर तथा फार्म नं. 6 की दो प्रतियां अलग से एक लिफाफे में सील मोहर कर नमूने का एक सील बन्द डिब्बा व फार्म नं 6 का सील बन्द लिफाफा श्री भानू कुमार जांगिड डीईओ द्वारा दिनांक 29.01.2020 को खाद्य विश्लेषक अलवर के यहां जमा करवाये। नमूने के दो सील बन्द डिब्बा व फार्म नं. 6 की दो प्रतियां एक आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 29.01.2020 को डी.ओ. व सीएमएचओ दौसा को जमा करवाये तथा नमूने का चतुर्थ सील बन्द डिब्बा व फार्म नं. 6 की एक प्रति आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 29.01.2020 को डी.ओ. व सीएमएचओ दौसा को जमा करवाये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को प्राप्त उक्त खाद्य पदार्थ मिर्च पाउडर(लूज) के नमूने की खाद्य विश्लेषक अलवर की जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस./49/एक्ट/2020/119 दिनांक 06.02.2020 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ मिर्च पाउडर(लूज) का नमूना **Prohibition & Restriction on sale** होना पाया गया। उक्त खाद्य पदार्थ का नमूना **Prohibition & Restriction on sale** होना पाये जाने पर न्याय निर्णय आवेदन पत्र खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी अभियुक्त की गई। अप्रार्थी अभियुक्त की ओर से अधिवक्ता श्री गिरिराज प्रसाद गुप्ता उपस्थित आये एवं जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं अधिवक्ता अप्रार्थी अभियुक्त की बहस सुनी गई।

बहस के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निवेदन किया कि खाद्य विश्लेषक अलवर की जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस./49/एक्ट/2020/119 दिनांक 06.02.2020 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ मिर्च पाउडर(लूज) का नमूना **Prohibition & Restriction on sale** होना पाया गया है। जो कि **Regulation No. 2.3.14(15) FS&S(Prohibition and Restriction on sale) Regulation 2011** का उल्लंघन है। अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा खाद्य पदार्थ मिर्च पाउडर(लूज) का विक्रय कर एफ.एस.एस.ए. की धारा 26 (2) (**V**) का उल्लंघन किया है, जिसका जुर्माना अधिनियम की धारा 58 में वर्णित है। अतः अप्रार्थी अभियुक्त को अधिक से अधिक जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर बहस के दौरान निवेदन किया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा जो नमूना अप्रार्थी के यहां से लिया गया है। वह बन्द एक सिले हुये कट्टे को खुलवाकर लिया गया था। वह खुला हुआ नहीं था। सैम्पल लेते समय खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा नियमों की पालना नहीं की गई है। खाद्य विश्लेषक द्वारा अपनी रिपोर्ट में केवल इसी बात की जांच कर भिजवानी थी कि उक्त मिर्च पाउडर में मिलावट है तथा सबस्टैण्डर्ड है या नहीं। खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ मिर्च पाउडर में कोई मिलावट होना या सबस्टैण्डर्ड होना नहीं पाया गया है। अतः खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत परिवाद खारिज फरमाया जावे।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेजात तथा खाद्य विश्लेषक अलवर की जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस./49/एक्ट/2020/119 दिनांक 06.02.2020 के अनुसार अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा मिर्च पाउडर(लूज) का विक्रय किया जाकर **Regulation No. 2.3.14(15) FS&S(Prohibition and Restriction on sale) Regulation 2011** का उल्लंघन कर खाद्य पदार्थ मिर्च पाउडर(लूज) विक्रय किया जाकर अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा एफ.एस.एस.ए. की धारा 26 की उप धारा (2) (**V**) का उल्लंघन किया है, जिसका जुर्माना एफएसएसए की धारा 58 में वर्णित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramswaroop Chauhan
Date: 2025.06.30 10:27:49 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

<u>प्रकरण संख्या : 15/2020 FSSA</u>

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा खाद्य पदार्थ मिर्च पाउडर(लूज) का विक्रय किये जाने पर अपराध कारित होने से अप्रार्थी अभियुक्त श्री बनवारी पुत्र श्री सेडूराम बलाई मैसर्सः–न्यू पारासर जी ट्रेडर्स, पेट्रोल पम्प के सामने, सैंथल रोड औद्योगिक क्षेत्र बापी जिला दौसा पर 3000/–(अक्षरे तीन हजार रूपये) की शास्ति आरोपित की जाती है। अप्रार्थी अभियुक्तगण उक्त राशि निर्णय दिनांक 25.04.2025 के एक माह के अन्दर–अन्दर खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत निर्धारित **(Chief Medical & Health Officer Dausa)** के मद 0210–04–800–03–00 में जमा कराकर चालान की प्रति प्रस्तुत करे ।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 25.04.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(रामस्वरूप चौहान)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

क्रमांक / **FSSA**/ 2025/ दिनांकः– .04.2025

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशालय (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राज0 जयपुर।
2. अभिहित अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा।
3. श्री बनवारी पुत्र श्री सेडूराम बलाई मैसर्सः–न्यू पारासर जी ट्रेडर्स, पेट्रोल पम्प के सामने, सैंथल रोड औद्योगिक क्षेत्र बापी जिला दौसा।

(रामस्वरूप चौहान)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramswaroop Chauhan
Date: 2025.06.30 10:27:49 IST
Reason: SelfAttested